



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052021-226880
CG-DL-E-06052021-226880

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1639]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 6, 2021/वैशाख 16, 1943

No. 1639]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 6, 2021/VAISAKHA 16, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2021

प्रपत्र सं. 3 सीपी

का.आ. 1766(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर नियमावली, 1962 के नियमों 6ककघ तथा 6ककड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35गगग के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा फा.सं. 203/30/2014-आईटीए-11 के तहत जारी की गई अधिसूचना सं. 15/2015 में आंशिक आशोधन करते हुए, एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि उक्त अधिसूचना की क्रम सं. 7 और क्रम सं. 8 निम्नानुसार पढ़ी जाएगी:-

7	मूल्यांकन वर्ष जिसके/जिनके लिए कृषि संबंधी विस्तार परियोजना अधिसूचित की जा रही है (तीन वर्षों से अधिक नहीं)	अधिसूचना सं. 15/2015(अर्थात्) 16.02.2015 के औपचारिक रूप से जारी होने की तारीख से मूल्यांकन वर्ष 2017-18 तक
---	---	--

8	कृषि संबंधी विस्तार परियोजना के लिए वहन किए जाने वाले कुल खर्च (भूमि अथवा भवन की लागत के अलावा)	मूल्यांकन वर्ष	स्वीकृत व्यय (राशि रुपये में)
		2015-16	2,07,00,000*
		2016-17	2,07,00,000
		2017-18	2,07,00,000
		*हालांकि, जैसा कि परियोजना को वित्त वर्ष 2014-15 में बाद की तारीख से अनुमोदन दिया गया है, अर्थात् मूल्यांकन वर्ष 2015-16 से, संगत अवधि के लिए स्वीकृत व्यय की अनुमति 16.02.2015 से दी जानी है।	

[अधिसूचना सं. 48/2021/ फा.सं. 203/30/2014-आईटीए.II]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक